

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2506

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2023 को दिया गया

पुदुचेरी में विद्युत विभाग का निजीकरण

2506. श्री वी. वैथलिंगम:

क्या विद्युत मंत्री 29.07.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1778 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुदुचेरी में विद्युत विभाग के निजीकरण की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) निजी कंपनी के साथ प्रस्तावित हिस्सेधारी पद्धति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : वितरण कंपनी में शेयरों की 100% बिक्री के लिए सफल बोलीदाता के चयन के लिए अनुमोदित आरएफपी दिनांक 27-09-2022 को जारी की गई है। बोली जमा करने की अंतिम तिथि को दिनांक 07-08-2023 तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच, दिनांक 28-09-2022 को विद्युत विभाग, पुदुचेरी के निजीकरण के विरुद्ध विद्युत विभाग तकनीकी प्रमाणपत्र धारक (आईटीआई) कल्याण संघ, पुदुचेरी द्वारा डब्ल्यू पी 26692/2022 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी। पुदुचेरी सरकार द्वारा आवश्यक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16-11-2022 को आदेश दिया गया था कि अगले आदेश तक बोलियां नहीं खोली जाएंगी। मामले का निपटारा किया जाना अभी बाकी है।

(ख) : कर्मचारी संघों की मांग के आधार पर, पुदुचेरी सरकार द्वारा वितरण कंपनी के शेयरों की बिक्री का प्रतिशत 100% से बदलकर 51% करने का निर्णय लिया गया था। विद्युत् मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा 51% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए संशोधित आरएफपी दस्तावेजों को अनुमोदित कर दिया गया है। संशोधित आरएफपी को शीघ्र जारी करने की कार्रवाई की जा रही है।
